
पृष्ठ सं०-15



TINT	स०-1	0
U CO	Y-0-1	h
	110	0

	40-16	1	
आदेश की क्रम सं० एव तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर		
	03) यह कि आवेदक खेवटदार लाल बाबु के वंशज हैं तथा विपक्षी खेवटदार गोपाल बाबु के वंशज हैं। आवेदक ने गोपाल बाबु एवं सुखलाल बाबु को नावल्द बताया है जबकि गोपाल के वंशज जीवित है जो विपक्षीगण हैं। आवेदक ने गलत वंशावली प्रस्तुत कर विपक्षी के जमीन को हड़पने के नियत से झूठा मुकदमा दायर किया है।		
	04.) यह कि वर्त्तमान में विवादित भूमि के कुछ जमीन पर आवेदक दखलकार है तथा कुछ पर विपक्षी दखलकार है। विपक्षी का घर ग्राम–वीरगाँव, थाना–तमाड़ में भी है परन्तु उपरोक्त खेवट सं०–20 ∕ 1 के अपने हिस्से की जमीन पर दखलकार होकर पूर्वजों के समय से खेती आबाद करते आ रहे हैं।		
	05.) यह कि उपरोक्त वाद किसी भी परिस्थति में चलने योग्य नहीं है चूँकि कहीं भी धारा–242 का उल्लंघन नहीं हुआ है, प्रथम दृष्टया खारिज करने योग्य है। उभय पक्ष एक ही एक ही खेवट (खेवट नं०–20/2) के वंशज हैं एवं एक ही खानदान के हैं। अतः यह मुकदमा परिपोषनीय नहीं है तथा खारिज करने योग्य है।		
	इस तरह विपक्षी की ओर से आवेदकगण के आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया।	a second	
	आवेदक की ओर से दाखिल किए गए जवाब में उनके द्वारा निम्नलिखित		
	कथन का उल्लेख किया गया है:-		
	01) यह कि आर.एस. खतियान में बकास्त लगान पानेवाला लाल बाबु वगैरह दर्ज है। खेवट नं०–20/2 का वंशावली इस प्रकार है।		
	बुधु बाबु ठाकुर बाबु मंगल बाबु	1	
	लाल बाबु गोपाल बाबु सुखलाल बाबु		
	टाकुर बाबु (नावल्द) (नावल्द)		
	बिशेश्वर सिंह मुण्डा शिवनाथ सिंह मुण्डा (आवेदक)		
	चमर सिंह मुण्डा (आवेदक)		
	02.) यह कि उपरोक्त वंशावली के अनुसार आवेदकगण का विवादित भूमि पर एकमात्र		
	अधिकार है। इस प्रकार विवादित भूमि आवेदकों का मुण्डारी खुँटकट्टी जमीन है, जिसको विपक्षी ने गलत ढंग से धारा 240 छो०का०अधि० का उल्लंघन कर दखलकार		
	है, जिसका आवेदकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है।		
	03.) यह कि विपक्षी द्वारा जो वंशावली दर्शाया गया है वह गलत है। उनके वंशावली अनुसार खतियानी रैयत गोपाल बाबु पिता ठाकुर बाबु नावल्द नहीं हुआ है और विपक्षी		
	इनके ही वंशज हैं। जो सरासर गलत एवं बनावटी है।		
	04.) यह कि विपक्षी का यह कहना कि आवेदक एवं विपक्षी एक ही खानदान के वंशज		
	है जो कि सरासर गलत है चूँकि विपक्षी आवेदकगणों के लिए अजनबी हैं। आवेदक		
	ग्राम–कुरकुटा तमाड़, राँची एवं विपक्षी ग्राम–वीरगाँव, तमाड़, राँची का निवासी है,		
	दोनों गावों की दूरी काफी है और ये एक वंश के नहीं है।		
	05.) यह कि दखल–कब्जा के बिन्दु पर यह कहना है कि विवादित भूमि पर विपक्षी		
	दखलकार है जिसका सत्यापन विपक्षी के जवाब पारा–7 एवं 10 में उल्लेखित है। आवेदकरणों की ओर से सच्चा पतं तापतविक प्रकटण द्वापर किया गण है।		
	आवेदकगणों की ओर से सच्चा एवं वास्तविक मुकदमा दायर किया गया है। अव: आवेदकगणों का आवेदन को स्वीकप करने हम विग्रंभी को विग्रंभिन		
	अतः आवेदकगणों का आवेदन को स्वीकार करते हुए विपक्षी को विवादित भूमि से हटाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।		
	अंचल अधिकारी, तमाड़ के पत्रांक–377(ii) दिनांक–31.07.2019 द्वारा जाँच		
	प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि मुण्डारी खुटकटी		
	है। वर्त्तमान में भूमि पर चमर सिंह मुण्डा का दखल–कब्जा है। मुखिया एवं वार्ड सदस्य के		
	द्वारा सत्यापित वंशावली के अनुसार आवेदक खतियानी रैयत लाल बाबु वल्द बुधु के		

1	पृष्ठ सं०–17		
देश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित	
	वंशज हैं तथा अन्य दो खतियानी रैयत क्रमशः गोपाल बाबु वल्द ठाकुर बाबु एवं सुखलाल बाबु वल्द मंगल बाबु नावल्द है। जिसका सत्यापन अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नहीं किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के दलील को सुनने, अभिलेखबद्ध दस्तावेजों एवं अंचल अधिकारी, तमाड़ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के परिशीलनोपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि विवादित भूमि पर दोनों ही पक्ष दखलकार है साथ ही उभय पक्ष के बीच वंशावली में विवाद है जिसका समाधान हेतु यह सक्षम न्यायालय नहीं है। अतः आवेदकगण द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–242 के तहत दायर आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।		
	लेखापित एवं संशोधित।		
	भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, भूमि सुध बुण्डू(राँची)। बुप	%:নু\ে प्रार उपसमाहर्त्ता, ण्डू(राँची)।	